

दावा संख्या - 135/2016

1- कजोडमल पुत्र सुवालाल उम्र 52 वर्ष जाति  
ब्राह्मण निवासी. मीने का डाह तहसील  
लखारामगढ (पपपुर)

... वादी

द्वयाम

- 1- जगदीश लारायण पुत्र रामेश्वर जाति  
ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 2- राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 3- रमेश पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 4- रामकिशोर पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 5- लक्ष्मीनारायण पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 6- मुकुंदा पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 7- सन्तोष पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 8- दिलेश पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 9- हरसहाय पुत्र बन्दीलाल जाति ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 10- शिम्भूदपाल पुत्र सुवालाल जाति ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 11- रामस्वरूप पुत्र गोरी लाल जाति ब्राह्मण निवासी मीने का डाह
- 12- राजराम सरकार लखारामगढ तहसील लखारामगढ (पपपुर)
- 13- उपपंजीयक महोदय लखारामगढ (पपपुर)

... प्रतिवादीगण

वादी अधिवक्ता - श्री रामकरण शर्मा  
प्रतिवादी अधिवक्ता - श्री रामशंकर शर्मा

दावा धारक जयवंश एवं  
रुघोई निपेद्याल कलकत्ता  
द्वारा 53, 108 राजम बाजार कलकत्ता

निवेदन

दिनांक - 14/09/2018

वारी ने एक वाद चाकर तक्रार  
 व स्पष्ट निवेदन का उल्लेख द्वारा  
 53,108 R.T. Act के तहत पेश किया।  
 वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार  
 से है कि गाँव मीठो का वाद पट्टा हक  
 माधन तहसील जमवारामग (पप्पुर) के  
 खण्ड 53 खका 0.0700 हेक्टर, 54 खका  
 2.0600 हेक्टर, खण्ड 54/31 खका 0.0100 हेक्टर  
 की एक विविक्त बंधारा गरी हुआ है  
 वयंसे हेतु वाद वारी ने पेश किया।  
 जिसमें दिनांक 21/3/17 को वकील वारी  
 व प्रतिवादी को लागान 8 के अधिवक्ता  
 श्री रमेशकर शर्मा व 9 व 11 वाकड्ड हक  
 के अंतर्गत लेन के कारण उक्त पट्टे  
 की विविक्त सुगर्ह कर प्राथमिक डिकी  
 के अर्थ पत्रित किए गए तथा तहसीलदार  
 जमवारामग को निर्देश दिए गए कि वे मोका  
 कवजा एवं सरस नरस के आधार कसुमा  
 कुंजान रिपोर्ट भय मन्शा इस दो प्रतिपों  
 में भिजवावे।

दिनांक 4/9/2017 को दिनांक 21/3/17 की  
 पालना में तहसीलदार जमवारामग ने कुंजान  
 रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर वारी कण्ड गल  
 ने आपत्ति प्रपना पत्र पेश किया जिसे जवाबी  
 के रिकार्ड पर रिया गया। उक्त आपत्ति पर उक्त  
 पट्टे के अधिवक्ता को की डेवर दिनांक 30/11/17  
 को सुनी गई। वस सुगर्ह के उपरान्त तहसीलदार  
 जमवारामग को आपत्ति की छाप प्रति भेजाकर  
 निर्देश दिये गए कि वे आपत्तियों व मोका  
 पर कवजे को ह्यान में रखते हुए पूर्वोक्त  
 सरस-नरस के आधार पर पुनः कुंजान रिपोर्ट  
 प्रेषित करें।

Oh

(3)

में तस्सीलत

दिनांक 30/10/17 को फालग में तस्सीलत  
 गजदारागवाच ने दिनांक 24/4/18 को पुनः फालग  
 रिपोर्ट भिजवाई जिसे पत्रावली के रिपोर्ट पर  
 निम्न वादा/वादी की ओर प्राप्त कुरैफत  
 रिपोर्ट पर पुनः आपत्ति प्राप्त हुई दिनांक 30/5/18  
 को चेश आपत्ति पर उभय पक्षों की  
 बैठक सुनी गई इस सुनने के पत्रावली  
 का कलंकन करने पर आपत्ति के  
 खारिज निम्न शर्तों पर आपत्ति के  
 के आधार पर चर्चा में कठिन डिफ्टी  
 निम्न प्रकार के धरित की जाती है। -

- 1- अश्वीन नारायण, राजेन्द्र, रमेश, रामकिशोर,  
 लक्ष्मी नारायण, मुकेश, सहोप, दिनेश पिं  
 रामेश्वर छि 135/143, संगीता पुत्री रामेश्वर  
 छि 4/143 जाती इहण साण्डेह के रकवा  
 53 रकवा 0.07 फिक्त बांगु चट लगान  
 54.00/- रूपये, रवण 54 रकवा 1.04 फिक्त  
 चाही A. रवण 54/2 रकवा 0.31 फिक्त चाही A  
 रवण 54/371 रकवा 0.01 गैरगु चट कायम  
 किया जाता है

- 2- हरसहाय पुत्र गंडीलाल जाती इहण साण्डेह  
 के रवण 54/4 रकवा 0.35 चाही A लगान  
 14/- रूपये कायम किया जाता है।

- 3- फालोडमल पुत्र सुदालाल छि 113, शिम्कूपल  
 पुत्र सुदालाल छि 113, रामस्वकप पुत्र गोवीलाल  
 उर्फ रामगोपाल छि 113 जाती इहण साण्डेह  
 के रवण 54/3 रकवा 0.35 फिक्त चाही A लगान  
 14 रूपये कायम किया जाता है।

- 4- हरसहाय पुत्र गंडीलाल छि 112, फालोडमल पुत्र  
 सुदालाल, छि 119, शिम्कूपल पुत्र सुदालाल  
 छि 119, रामस्वकप पुत्र गोवीलाल उर्फ रामगोपाल  
 छि 119 जाती इहण साण्डेह के रवण 54/1  
 रकवा 0.01 चाही A (मरिह) कायम किया जाता है।  
 पत्रावली का दिनांक 119 मन्दिर में भी किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारी  
 जयधरामग


(4)

सि  
गाद


उपरोक्तानुसार बाद में कतिग सिद्धि  
पारित की जाती है निर्णय व सिद्धि की  
प्रति लक्ष्मीलाल जमवारामगढ़ को बालगर्भ  
के मातृकाई लक्ष्मी

पत्रावली के माध्यम से कल हो बाड प्रति करिण  
सम्बन्ध से कल हो बाड प्रति करिण

निर्णय शुभे ज्ञापनालय शुभापा राणा

  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

24/10/18 प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्वये  
द्वारा IS 2018 को स्वीकार किया जाता  
है तथा निर्णय व सिद्धि दिनांक 14/9/18 के  
पृष्ठ सं-3 के क्रम सं-4 में खण्ड 54/1  
रफ्तार 0.01-बाडी A (मन्दिर) में दादी  
एवं प्रतिवादी गणों का हिस्सा 1/3, 1/3  
के स्थान पर हिस्सा 1/3-1/3 पढा जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़